पत्रांक ...618...../

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पलामू

प्रेषक,

रतन कुमार महावर,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पलामू।

सेवा में,

पलामू जिला के सभी कोटि के उच्च विद्यालय
+2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
प्रभारी प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापिका

मेदिनीनगर, दिनांक ...05.../...05.../...2014.....

विषयः— **डायन प्रथा एवं डायन अत्याचार नियंत्रण हेतु जागरूकता एवं पुर्नवास कार्यक्रम अन्तर्गत आपके विद्यालय में छात्रों एवं गुरू गोष्ठी के बीच जागरूकता कार्यक्रम एवं हस्ताक्षर अभियान संचालन हेतु सहयोग के संबंध में।**

प्रसंगः— **भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन का पत्रांक 24-15/2012/NRCW/NMEW/EVMG दिनांक 07.04.2014**

महाशय,

उर्युक्त विषयक भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के पत्र के आलोक में सचिव ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच का पत्रांक GSKVM/2492 दिनांक 05.05.2014 द्वारा पलामू जिला में डायन प्रथा डायन अत्याचार नियंत्रण हेतु जागरूकता वकालत एवं पुर्नवास कार्यक्रम चलाने हेतु अनुमति एवं विद्यालयों द्वारा सहयोग की मांग की गई है।

पलामू जिला के सभी कोटि के उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निदेश दिया जाता है कि छात्र/छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम एवं हस्ताक्षर अभियान हेतु ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच को सहयोग करना सुनिश्चित करेगे।

विश्वासभाजन
05/5/14
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पलामू।

ज्ञापांक .....618...../मेदिनीनगर, दिनांक ...05.../...05.../...2014.....

प्रतिलिपिः— पलामू जिला के सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आप सभी पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधीन शिक्षकों को जागरूकता हेतु अपने स्तर से गुरू गोष्टी के माध्यम से सन्सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

05/5/14
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पलामू।

ज्ञापांक ...618...../मेदिनीनगर, दिनांक ...05.../...05.../...2014.....

प्रतिलिपिः— सचिव, ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/5/14
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पलामू।

Scanned with OKEN Scanner

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा

दैनिक जागरण

रांची, मंगलवार
6 अक्टूबर 2015

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने की जरूरत

डीआरडीए में आयोजित बैठक में शामिल पदाधिकारी व अन्य।

मेदिनीनगर : अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली फिल्म व सीरियल पर रोक लगाने की जरूरत है। स्कूल-कालेजों में वैज्ञानिक दृष्टि से अंधविश्वास को दूर किया जाए। डायन बिसाही जैसी कुप्रथा को धर्म से जोड़ना नाजायज है। डायन प्रथा संबंधित केस को प्राथमिकता के साथ सुलझाने की जरूरत है। संबंधित प्रखंडों के बीडीओ व जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोगों को अंधविश्वास से बचने के प्रति जागरूक करें। उक्त बातें पलामू के उप विकास आयुक्त प्रमोद कुमार सिंह ने कही। वे सोमवार को स्थानीय डीआरडीए के सभागार में डायन कुप्रथा व डायन अत्याचार नियंत्रण पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। जिला समाज कल्याण विभाग व ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला का उदघाटन संयुक्त रूप से दीप जलाकर अतिथियों ने किया। इसका संचालन मंच के सचिव मो हशमत रब्बानी ने किया। प्रशिक्षु आइएएस दिव्यांशु झा ने कहा कि डायन बिसाही जैसी सोच सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। स्वर्णलता रंजन ने विषय प्रवेश कराया। उन्होंने डायन कुप्रथा नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास से लोगों ने रूबरू कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि गांव की विधवा व बुजुर्ग महिलाएं डायन-बिसाही के सर्वाधिक शिकार हैं। पलामू जिले में 2010 से 2015 के बीच 252 डायन बिसाही के मामले सामने आए हैं। इसमें से 18 लोगों को डायन कुप्रथा का आरोप लगा कर मार डाला गया। मंच के सचिव मो हशमत रब्बानी ने डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा डायन हत्या एक खतरनाक अपराध है। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राईम ब्यूरो के रिपोर्ट के आधार पर कहा कि 2013 में झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर 54 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। डायन हत्या के मामले में झारखंड राज्य देश में सबसे आगे है। छतरपुर एसडीओ अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि डायन जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक कुप्रथा व अंधविश्वास है। लोग इसे समझें। सदर एसडीओ अरूण एक्का ने कहा कि लोग दुनिया में आ रहे बदलाव के बारे में जाने। अंधविश्वास से दूर रहे। कहा कि जहां अशिक्षा है, अंधविश्वास है वहां लोगो को जागरूक करने का दायित्व हम सबका है। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, प्रशिक्षु आइएएस दिव्यांशु झा, छतरपुर के एसडीओ अमरेंद्र कुमार सिन्हा, सदर एसडीओ अरूण कुमार एक्का, दंडाधिकारी मेघनाथ उरांव, बीडीओ सोमनाथ बनर्जी आदि मौजूद थे।

Scanned with OKEN Scanner

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
मंगलवार, 06 अक्तूबर 2015 रांची

अंधविश्वास के खिलाफ चलेगा अभियान

मेदिनीनगर | प्रतिनिधि

पलामू में डायन प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान को लेकर सोमवार को डीआरडीए में कार्यशाला का आयोजन पलामू जिला समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के नेतृत्व में हुआ।

इसमें जिले के आलाधिकारियों ने भाग लेते हुए जागरुकता अभियान की रूपरेखा तैयार की और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विमर्श किया। कार्यशाला से ही डायन प्रथा पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। पीड़ित 7870632026 पर मिस कॉल कर सूचना दे सकते हैं, जबकि 18003456525 टॉल फ्री है।

सोमवार को डीआरडीए में आयोजित कार्यशाला में मंचस्थ अधिकारी। • हिन्दुस्तान

पुनर्वास का भी है प्रावधान

कार्यशाला में बताया गया कि डायन प्रथा से पीड़ितों के पुनर्वास का भी प्रावधान है। कोई किसी को डायन कह कर शारीरिक, मानसिक यातना पंहुचाता है या सताता है, तो उसे एक वर्ष की कारावास और दो हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसी को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है, तो उसे एक हजार जुर्माना या कारावास और कोई किसी को डायन बताने का षडयंत्र रचता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए एक हजार रुपए जुर्माना और तीन महीने का कारावास हो सकता है। कार्यशाला में

हिन्दुस्तान नया नजरिया

- पांच साल में डायन बता पलामू में हो चुकी है तीन दर्जन से अधिक हत्या
- पीड़ितों के लिए दो-दो हेल्पलाइन नंबर जारी

प्रशिक्षु आईएएस दिव्यांशु झा, डीडीसी प्रमोद सिंह, निदेशक हैदर अली, सदर एसडीएम अरुण कुमार एक्का, एसडीएम अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, डीएसडब्ल्यूओ अनिल कुमार यादव, ग्रामीण समाज कल्याण मंच के अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, सचिव हसमत रब्बानी, कोषाध्यक्ष स्वर्णलता रंजन समेत सभी बीडीओ, सीडीपीओ मौजूद थे। पलामू प्रमंडल में तीन दर्जन महिलाओं को डायन करार देकर हत्या की जा चुकी है। पलामू में यह 13, गढ़वा में सात और लातेहार में 13 है। भूत मेला और देवास लगाने का प्रचलन पलामू प्रमंडल में भी आम है। हालांकि प्रशासन और सामाजिक स्तर पर ही नहीं न्यायिक पदाधिकारी भी विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से लगातार इस कुप्रथा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, परंतु गहरी हो चुकी जड़ें कमजोर नहीं हो पा रही हैं। डीआईजी ने कहा कि पुलिस भी चला रही जागरुकता अभियान। पलामू प्रमंडल के डीआईजी साकेत कुमार सिंह ने कहा कि विशुद्ध रूप से यह जागरुकता की कमी का मामला है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अभाव में लोग नीम-हकीम और डायन प्रथा आदि के चंगुल में फंस जाते हैं, जिससे बड़ी घटना हो जाती है। पुलिस भी केवल प्रतिरोधात्मक और अनुसंधान की कार्रवाई ही नहीं कर रही है, वरन जागरुकता के लिए भी नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गढ़वा में भी इसकी जड़ें काफी गहरी है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकाशन का 70वां वर्ष

॥ श्री हरि ॥

सन्मार्ग

email : sanmargjharkhand@gmail.com

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तुरुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तुचन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः

०६ अक्टूबर, २०१५

डायन अत्याचार अधिनियम को ले कार्यशाला आयोजित

जनप्रतिनिधि लोगों को करें जागरूक: डीडीसी

मेदिनीनगर : जिला समाज कल्याण विभाग एवं ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के संयुक्त तत्वावधान में डायन कुप्रथा व डायन अत्याचार नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपविकास आयुक्त प्रमोद कुमार सिंह ने किया। प्रशिक्षु आईएएस दिव्यांशु झा ने कहा कि डायन बिसाही जैसी सोच सिर्फ अंधविश्वास है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह निरक्षरता के कारण फलता-फूलता रहा है। उन्होंने डायन कुप्रथा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरतों पर बल दिया। वहीं उप विकास आयुक्त प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की जिम्मेवारी समाज के सभी वर्ग के लोगों की है। प्रखण्ड के पदाधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहिए। मंच की स्वर्णलता रंजन ने पदाधिकारियों को मंच द्वारा अब तक अंधविश्वास खासकर डायन कुप्रथा के खिलाफ चलाये जा रहे जागरूकता अभियान की जानकारी दी। इस दौरान मंच के 25वें वर्ष पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया। मंच के सचिव मोहम्मद हशमत रब्बानी ने डायन प्रथा प्रतिरोध अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखण्ड मंत्रीमंडल की 03 जुलाई 2001 को हुई बैठक में डायन प्रथा प्रतिरोध अधिनियम 1999 को अंगिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि झारखण्ड में डायन बिसाही के नाम पर 54 महिलाओं की हत्या कर दी गयी है। इस मामले में झारखण्ड देश में सबसे आगे रहा है। इस दौरान डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने पर आधारित फिल्म भी दिखायी गयी। मौके पर सदर अनुमण्डल पदाधिकारी अरूण कुमार एक्का, छतरपुर अनुमण्डल पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, डीआरडीए के निदेशक मोहम्मद हैदर अली, कार्यपालक दण्डाधिकारी मेघनाथ उरांव समेत अन्य पदाधिकारी व सभी प्रखण्डों के बीडीओ, सीओ आदि उपस्थित थे।

Scanned with OKEN Scanner

खबर मन्त्र
सबकी बात सबके साथ

बुधवार, 7 मई, 2014

कार्यशाला डायन प्रथा नियंत्रण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, बीडीओ ने कहा

महिलाओं पर अत्याचार शर्म की बात

कार्यशाला में उपस्थित लोग तथा संबोधित करते अतिथि

खबर मन्त्र रिपोर्टर

नावाबाजार। डायन प्रथा नियंत्रण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इसका संचालन कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सेवक, मुखिया, उप प्रमुख आदि पच्चास की संख्या में लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने कहा कि इस सदी में अंधविश्वास आधारित महिलाओं पर डायन प्रथा के नाम पर अत्याचार हो रहा है तो यह मानव समाज के लिए शर्म की बात है। उन्होंने प्रखण्ड कर्मियों का आह्वान किया कि विकास की जिम्मेदारी आप पर है। साथ ही इस समाजिक गतिविधि में भी आप सहयोग करें, महिलाओं में जागरूकता लाएं। महिलाओं को आगे बढ़ाकर आज भी पुरूष ही शासन करते हैं। महिलाओं में अंधविश्वास ज्यादा है।

सोहदाग पंचायत के मुखिया गिरिवर सिंह ने कहा कि डायन प्रथा के नियंत्रण हेतू इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में जागरूकता लाने की जरूरत है।

ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक मनोहर मिश्र ने कहा कि पुरूष आज भी महिलाओं पर हावी हैं। महिलाए अशिक्षित हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी है। अत्याचार होने पर भी चुप्पी साधे रहती हैं। जबतक वे जागरूक नहीं होंगी अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, तब तक इस तरह की कुप्रथाएं समाज में व्याप्त रहेंगी।

संस्था के स्वर्णलता रंजन ने कहा कि अधिकतर बेसहारा, गरीब, विधवा, निःसंतान, दलित महिलाओं को ही हमेशा डायन कहा जाता है। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए सबकी सहभागिता आवश्यक है। उनकी सहायता के लिए संस्था ने मुफ्त कानूनी सहायता एवं वकील की व्यवस्था की है।

अधिवक्ता मो. नसीमुद्दीन खां ने डायन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम 2001 की जानकारी देते हुए कहा कि डायन कहना कानूनन जुर्म है। डायन कहने पर तीन महीने की सजा एवं एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। कार्यक्रम में शशांक कुमार, साजीद अंसारी आदि ने सहयोग किया।

Scanned with OKEN Scanner

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

पृ० 18+4 = 22
रांची, रविवार
7 दिसंबर 2014
नगर संस्करण

सामाजिक अभिशाप है डायन कुप्रथा : योगेंद्र

संस, गढ़वा : ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच पलामू के तत्वावधान में शनिवार को गोविंद उच्च विद्यालय में डायन प्रथा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक योगेंद्र सिंह ने कहा कि डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार सामाजिक कोढ़ है। इसे रोकने की आवश्यकता है। कुछ तांत्रिक व स्वार्थी तत्व विज्ञान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर मनोवैज्ञानिक तरीके से अशिक्षित लोगों को अंधविश्वास का डर पैदा कर डायन प्रथा जैसे बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि 21वीं सदी में भी हम डायन प्रथा अभिशाप है। सरकार ने इस अत्याचार नियंत्रण के लिए डायन प्रथा निषेध अधिनियम 2001 बनाया। मगर वह प्रभावी ढंग से लागू नही हो सका है। स्थिति है कि डायन बता कर आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है।

ओझा गुणी व तांत्रिक के चक्कर में पड़ कर लोग हजारों रुपये खर्च कर देते हैं। कार्यशाला में मंच के सचिव मोहम्मद हशमत रब्बानी, कृष्ण मोहन शाही, दलित विकास मंच के सचिव पंकज चौबे आदि उपस्थित थे।

गोविंद उवि में डायन प्रथा पर आयोजित कार्यशाला में मंचासीन लोग।

Scanned with OKEN Scanner

नारी से ही सृष्टि,उसे डायन न कहे : रब्बानी

डायन प्रथा नियत्रंण को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन

मेदिनीनगर। डायन प्रथा नियंत्रण को लेकर जिले के छह प्रखण्डों के १२ स्थानों, बिश्रामपुर, रेहला, पाण्डु, नावा बाजार, कंडा, चैनपुर, मेदिनीनगर, पांकी, लेस्लीगंज, मनातू, तरहसी, बासडीह आदि स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच ने किया। यह कार्यक्रकम राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, भारत सरकार के सौजन्य से किया जा रहा है। छोटानागपुरी कला केन्द्र, राँची के मेघनाथ एवं उनकी टीम द्वारा सभी स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम को सम्पन्न कराया गया।

अध्यक्षता करते हुए मंच के सचिव मो. हशमत रब्बानी ने कहा कि इस सदी में अंधविश्वास आधारित महिलाओं पर डायन प्रथा के नाम पर अत्याचार हो रहा है, तो यह मानव समाज के लिए शर्म की बात है। उन्होनें कहा कि नारी से ही सृष्टि है। उसे डायन न कहे। नारी अबला नहीं सबला है, नारी पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानना होगा। मंच डायन प्रथा उन्नमुलन विषय पर कई कार्यशाला, मीटिंग, बैठक, सेमिनार, रैली, नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर जागरूकात अभियान चला रहा है। संस्था नौ माह के अवधि में लगभग ११० सेमिनार, कार्यशाला, गुरू गोष्ठी, बैठक कर ८० हजार लोगों को डायन जैसी कुप्रथा नियंत्रण के लिए जागरूक किया है। कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि आज मानव असंवेदनशील हो गया है।

सती प्रथा के नाम पर, भ्रूण हत्या के नाम पर, बलात्कार का शिकार, डायन के नाम पर कब तक मरती रहेंगी हमारी जननी। जब तक इस कुप्रथा का अंत नहीं होगा महिला सशक्तिकरण की दुहाई देना बेईमानी है। इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा एवं डायन कह कर अपमान करने वालों का मुहतोड़ जवाब देना होगा। छोटानागपुरी कला केन्द्र, राँची द्वारा १२ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि बहुत छोटी-छोटी बात के लिए औरत को जिम्मेदार बताकर डायन करार दे दिया गया। कार्यक्रम में विजय कुमार वर्मा, शम्भु, आलोक कुमार, विकास कुंमार, शशांक कुमार ने सहयोग किया।

Scanned with OKEN Scanner

5 जुलाई, 2014,

हरितंत्र

डायन प्रथा के खिलाफ चले सशक्त मुहिम: बीडीओ

बैठक करते बीडीओ

हरिहरगंज (पलामू)। डायन प्रथा नियंत्रण पर एक दिवसीय प्रखण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मुख्य अतिथि बीडीओ श्री प्रभाकर ओझा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। संचालन कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने की। मौके पर पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सेवक, मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख आदि लगभग दो सौ की संख्या में लोग उपस्थित थे। मौके पर बीडीओ प्रभाकर ओझा ने कहा कि अंधविष्वास आधारित महिलाओं पर डायन प्रथा के नाम पर अत्याचार हो रहा है तो यह मानव समाज के लिए षर्म की बात है। उन्होने प्रखण्ड कर्मीयों का आवाहन किया की विकास की जिम्मेदारी आप पर है साथ ही इस समाजिक गतिविधि में भी आप सहयोग करें, महिलाओं में जागरूक्ता लाए। गावं में किसी तरह की पंचायति या बैठक कर किसी महिला को दंडित किया जाता है तो वैसे बैठक का पंचायत सेवक एवं मुखिया विरोध करे एवं उन्हें कानूनी मदद पहुंचाने में सहायता करें। इस प्रथा का अंत करने के लिए सब की सहभागिता आवष्यक है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मो0 हषामत रब्बानी ने कहा कि डायन प्रथा जैसी कुरीति को दुर करने के लिए मध्यम वर्ग को सामने आना होगा क्योकि उच्च वर्ग के पास समय नहीं है और निम्न वर्ग के पास क्षमता नहीं है। ऐसे कुपुत्र जो अपनी मां की हत्या डायन के नाम पर कर देते है।

Scanned with OKEN Scanner

रविवार, 6 जुलाई,

खबर मन्त्र

सबकी बात सबके साथ

डायन प्रथा शर्म की बात : बीडीओ

छतरपुर उच्च विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन

छतरपुर। डायन प्रथा अत्याचार नियंत्रण हेतु जागरूकता वकालत एवं पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत छतरपुर स्थित उच्च विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन व भारत सरकार के संयुक्त सौजन्य व ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के तत्वावधान में आयोजित की गयी। इसकी अध्यक्षता प्रमुख आरती देवी ने की। संचालन मंच के सचिव मो इशरत रब्बानीव कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने किया।

मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ बैजनाथ उरांव व विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी रामचंद्र महतो मौजूद थे। संचालन ने की इस अवसर पर काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सेवक, मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख आदि लगभग दो सौ की संख्या में लोग उपस्थित थे।

कार्यशाला को संबोधित करते अतिथि।

कार्यशाला में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते वक्ता।

बीडीओ बैजनाथ उरांव ने कहा कि इस सदी में अंधविश्वास आधारित महिलाओं पर डायन प्रथा के नाम पर अत्याचार हो रहा है। यह मानव समाज के लिए शर्म की बात है। उन्होंने प्रखण्ड कर्मियों का आह्वान किया की विकास की जिम्मेदारी आप पर है साथ ही इस समाजिक गतिविधि में भी आप सहयोग करें।

कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में डायन के नाम पर घटित होने वाली घटनाओं को देखते हुए प्रतित होता है कि सबकि सहभागीता से डायन नियंत्रण हेतु अभियान चलाने की जरूरत है। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी रामचंद्र महतो ने डायन प्रथा से जुड़े केस को प्राथमिकता के साथ सुलझाने का आश्वासन दिया। विद्यालय के प्राचार्य मो नसिमुद्दीन ने डायन प्रथा पर रोक के लिए महिला समाज को आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे।

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक जागरण
विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

अंधविश्वास में महिलाओं पर जुल्म शर्मनाक : ओझा

हरिहरगंज प्रखंड सभागार में डायन प्रथा पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित लोग।

- डायन प्रथा उन्मूलन को ले एकदिनी कार्यशाला
- डायन प्रथा समाज के लिए अभिशाप : हशमत
- जुल्म के खिलाफ महिलाएं आगे आएं : लता

संसू, हरिहरगंज, पलामू : डायन प्रथा उन्मूलन को ले हरिहरगंज में शुक्रवार को एकदिनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बीडीओ प्रभाकर ओझा ने की। कहा कि अंधविश्वास के नाम पर आज भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। यह मानव समाज के लिए शर्म की बात है। इसे मिटाना जरूरी है। कार्यशाला का संचालन आयोजक ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच पलामू के संचालक मो. हशमत रब्बानी ने किया। कहा कि डायन कुप्रथा जैसी कुरीति समाज के लिए अभिशाप है। इसे समाप्त करने के लिए सभी शिक्षितों को सामाजिक दायित्व निभाना होगा।

कार्यशाला प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि जब तक डायन प्रथा का अंत नहीं होता महिला सशक्तिकरण का सपना पूरा नहीं होगा। इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा। साथ ही प्रताड़ित करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मौके पर जेपीएस अहमद हुसैन, जगन्नाथ पांडेय, मुखिया राजेश राजवंशी, रघुनंदन साव, अवधेश मेहता के अलावा रोजगार सेवक अशोक कुमार, रिंकू कुमार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसके बाद मेन रोड बाजार में भी डायन प्रथा को ले जागरूकता अभियान चलाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

तरक्की को चाहिए नर

...वर्ष 14, अंक 112, 14 पेज, पांच प्रदेश, 18 संस्करण

www.livehindus

डायन प्रथा उन्मूलन के लिए हाइस्कूलों में चलेगा जागरुकता अभियान

अंधविश्वास के खिलाफ आवाज तेज

मेदिनीनगर | प्रतिनिधि

डायन प्रथा एवं डायन अत्याचार नियंत्रण के लिए हाइस्कूल और प्लस-2 हाइस्कूलों में जागरुकता अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। पलामू के विभिन्न थानों में डायन-बिसाही के मामले दर्ज होते हैं। अंधविश्वास में लोग हत्या तक करने से नहीं चूकते हैं। महिलाओं को ग्रामीणों द्वारा कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है। किसी-किसी गांव में डायन के आरोप में पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। डीइओ रतन कुमार महावर ने पलामू जिले के सभी कोटि के हाइस्कूल और प्लस -2 हाइस्कूलों के हेडमास्टरों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के पत्र के आलोक में ग्रामीण विकास कल्याण विकास मंच के सचिव द्वारा डायन प्रथा की रोकथाम के लिए जागरुकता वकालत एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमति एवं विद्यालयों द्वारा सहयोग मांगा गया है।

स्कूलों में चलेगा जागरुकता कार्यक्रम : डीइओ ने डायन प्रथा एवं डायन अत्याचार नियंत्रण के लिए जागरुकता एवं पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में छात्र एवं गुरु गोष्ठी कर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को गंभीरता से लेने का निर्देश सभी हेडमास्टर और सभी प्रखंडों के बीइओ को दिया गया है। ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच को भी सहयोग करने का निर्देश दिया है।

जागरुकता जरूरी

- डीइओ ने सभी हाइस्कूल और प्लस-2 स्कूलों के प्रधान को लिखा पत्र
- ग्रामीण विकास, कल्याण विकास मंच ने डायन प्रथा की रोकथाम के लिए मांगा सहयोग

हत्या के आंकड़े

पलामू जिले के विभिन्न थानों में डायन बिसाही के सैकड़ों मामले दर्ज हैं। वर्ष 2010 में डायन बिसाही में जिले में पांच हत्या हो चुकी है। इसी प्रकार 2011 में तीन, 2012 में एक और 2013 में चार लोगों की जाने चली गई है। इसमें ज्यादतर महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगता है। जिन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

डायन प्रथा नियंत्रण में सबकी हो सहभागिता : बीडीओ

नारी शक्ति आगे आये : प्रमुख

छतरपुर, 6 जुलाई (स.वर्षा) : ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच द्वारा डायन प्रथा अत्याचार नियंत्रण को ले जागरूकता कार्यशाला का आयोजन उच्च विद्यालय के प्रांगन में किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रखण्ड प्रमुख आरती देवी एवं संचालन मंच के सचिव मो. हशमत रब्बनी ने किया। इस कार्यशाला में छतरपुर बीडीओ बैजनाथ उरांव एवं थाना प्रभारी रामचन्द्र महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बीडीओ श्री उरांव ने कहा कि 21वीं सदी में डायन जैसे अंधविश्वास को लेकर महिलाओ पर किया जाने वाला अत्याचार शर्मनाक है। इस अंधविश्वास को मिटाने में सबकी सहभागीता जरूरी है। प्रमुख आरती देवी ने कहा कि इस कुप्रथा व अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए नारी शक्ति को एकजुट होकर आगे आना होगा। थाना प्रभारी रामचंद्र महतो ने कहा कि डायन संबंधी मामलो को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्राचार्य नसीमुदीन खां ने डायन प्रथा को एक भ्रामक बीमारी बताते हुए इसे दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पर समाज कल्याण विकास मंच द्वारा किये जा रहे प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने डायन प्रतिशेध अधिनियम 2001 की जानकारी देते हुए कहा कि आज कानून के साथ समाज की सोच बदलने की जरूरत है।

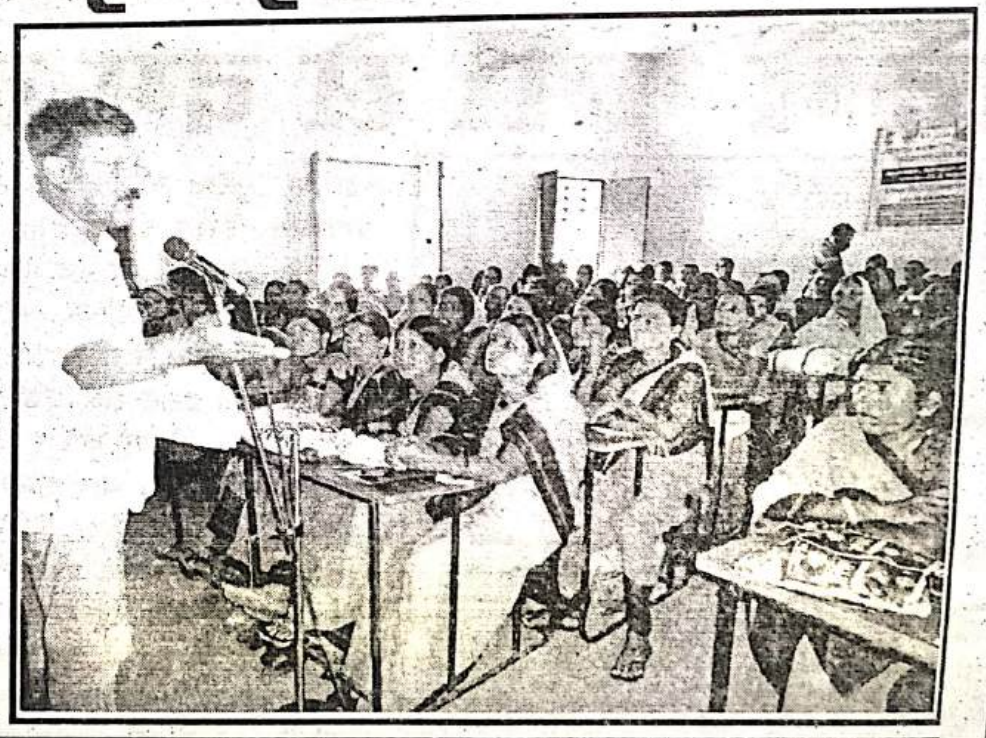

Scanned with OKEN Scanner

अंधविश्वास को रोकने के लिए ओझा और तांत्रिक पर रोक लगे : बीईईओ

डायन प्रथा नियंत्रण को लेकर शिक्षकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

मेदिनीनगर, 2 जुलाई (आससे)। डायन प्रथा नियंत्रण को लेकर यहां सदर प्रखंड संसाधन केन्द्र गुरूगोष्ठी के साथ शिक्षकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जगनाथ सिंह ने की। कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला सशक्तिकरण मिशन, भारत सरकार के सौजन्य से ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव मो. हशमत रब्बानी ने किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंच के सचिव मो0 हशमत रब्बानी ने कहा कि इस कुप्रथा को दूर करने में मध्यम वर्ग अहम भूमिका निभा सकता है। उच्च वर्ग को समय

कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक एवं संस्था के लोग। छाया : ब्रजेश तिवारी

नहीं है और निम्न वर्ग के पास क्षमता नहीं है। यही कारण है कि डायन अत्याचार के खबर प्रति दिन के अखबार में सुर्खियों में छाए रहते है। 21वीं सदी में भी समाज डायन जैसी कुप्रथा से अभिशप्त है, जिससे मुक्ति दिलाने के लिए सबकी सहभागिता आवयश्क हैं। वहीं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जगनाथ सिंह ने कहा कि शिक्षको को समाज में फैले इस अंधविश्वास को दूर करने में आगे आना चाहिए। शिक्षको का शिक्षा के अलावा कुछ सामाजिक दायित्व भी है। समाज को बदलने में एवं समाज को शिक्षित करने में शिक्षक अग्रणी भुमिका निभा सकते है। उन्होनें ने कहा कि अंधविश्वास को रोकने के लिए ओझा और तांत्रिक पर रोक लगाए। इस मौके पर शिक्षक विनय कुमार, कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन, अधिवक्ता मो. नसीमुद्दीन खां आदि ने डायन प्रथा रोकने के लिये अपने–अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में बीआरओ सतेन्द्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम को शंशाक कुमार, शम्भू साव, विकास कुमार, विजय कुमार आदि ने सहयोग किया।

Scanned with OKEN Scanner

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया

..र्थ साधने का जरिया बन गयी है डायन प्रथा : अजीत कुमार

..| प्रतिनिधि

..विंद हाई स्कूल के सभागार में ..हिला सशक्तीकरण के सौजन्य डायन प्रथा पर ग्रामीण समाज कल्याण ..कास मंच के तत्वावधान में कार्यशाला ..आयोजन किया गया। कार्यक्रम को ..बोधित करते हुए स्कूल के प्राचार्य ..जीत कुमार ने कहा कि 21वीं सदी में ..यन प्रथा के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार सामाजिक कोढ़ है।

डायन प्रथा अत्याचार नियंत्रण के लिए आयोजित कार्यशाला में उपस्थित अतिथि।

..शिक्षित लोगों के बीच फैला रहे भ्रम

..न्होंने कहा कि समाज के ही कुछ स्वार्थी लोग विज्ञान का गलत इस्तेमाल कर मनोवैज्ञानिक तरीके से अशिक्षित लोगों के बीच अंधविश्वास का डर पैदा कर डायन प्रथा जैसी बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रथा को दूर करने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा। स्वर्णलता रंजन ने कहा कि 21वीं सदी में भी हम सभी डायन प्रथा से अभिशप्त हैं। सरकार ने इस अत्याचार के नियंत्रण हेतु डायन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम 2001 में बनाया। लेकिन वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सका। इस कारण डायन के नाम पर हत्या के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। डायन शब्द सिर्फ मन का अंधविश्वास है। डायन प्रताड़ना की शिकार अशिक्षित महिलाओं के अलावा विधवा, विकलांग और आदिवासी महिलाएं होती हैं।

अंधविश्वास को दूर करने के लिए चाहिए सभी की सहभागिता

इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। कार्यक्रम को कृष्ण मोहन शाही, दलित विकास मंच के सचिव पंकज कुमार चौबे, शिक्षक योगेन्द्र सिंह, कृष्ण मुरारी पांडेय, जनुजा सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। मौके पर स्कूल के काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे।

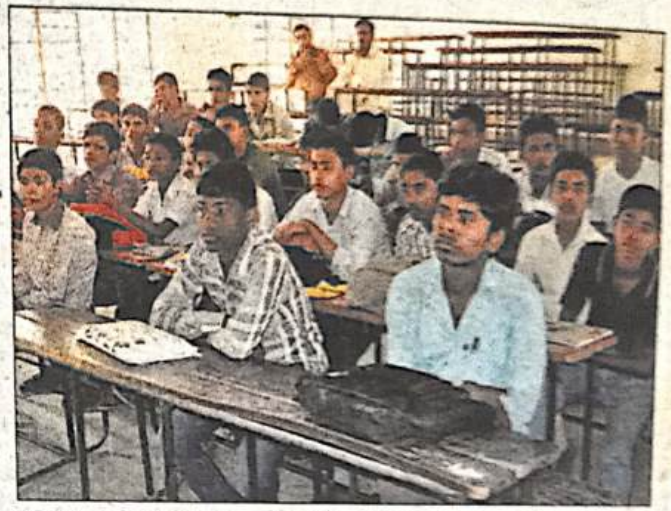

शनिवार को आयोजित कार्यशाला में उपस्थित बच्चे। • हिन्दुस्तान

Scanned with OKEN Scanner

इतिहास से आज तक

हिन्दी दैनिक

समाचार वर्ष

• वर्ष-5 • अंक-326 • डालटनगंज शनिवार, 05 जुलाई, 2014 • पृष्ठ-8 • मूल्य दो रुपया

डायन प्रथा नियंत्रण में सबकी सहभागिता जरूरी : बी.डी.ओ.

डालटनगंज,04 जुलाई (समवा) : डायन प्रथा नियंत्रण पर एक दिवसीय प्रखण्ड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बी.डी.ओ. प्रभाकर ओझा की अध्यक्षता में हुई। संचालन कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने की। इस अवसर पर काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सेवक, मुखिया, उप प्रमुख व प्रमुख समेत लगभग दो सौ की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बी.डी.ओ. प्रभाकर ओझा ने कहा कि इस सदी में अंधविश्वास आधारित महिलाओं पर डायन प्रथा के नाम पर अत्याचार हो रहा है तो यह मानव समाज के लिए शर्म की बात है। उन्होंने प्रखण्ड कर्मियों का आवाहन किया कि विकास की जिम्मेवारी आप पर है साथ ही इस सामाजिक गतिविधि में भी आप सहयोग करें, महिलाओं में जागरूकता लाएं। गांव में किसी तरह की पंचायति या बैठक कर किसी महिला को दंडित किया जाता है तो ऐसे बैठक का पंचायत सेवक एवं मुखिया विरोध करें एवं उन्हें कानूनी मदद पहुंचाने में सहयोग करें। इस प्रथा का अंत करने के लिए सब की सहभागिता आवश्यक है।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए मो. [illegible] ने कहा कि डायन प्रथा जैसी कुरीति को दूर करने के लिए सम्पन्न वर्ग को सामने आना होगा क्योंकि उच्च वर्ग के पास समय नहीं है और निम्न वर्ग के पास क्षमता नहीं है। ऐसे पुत्र जो अपनी मां की हत्या डायन के नाम पर कर देते है उसे भी जीवित रहने का कोई हक नहीं है, ऐसे पुत्र को सम्पति से बेदखल कर देना चाहिए। जो महिला डायन के नाम पर प्रताड़ित हो रही है या उनकी सम्पति को हड़प कर बेघर कर दिया जा रहा है उन महिलाओं को पुनर्वास के लिए स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाना चाहिए या उनको आर्थिक मदद की जानी चाहिए।

कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि आज मानव [illegible] हो गया है डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या अपनाया जाती है। आधुनिक समाज में अभी भी 21वीं सदी में [illegible] को डायन शब्द का [illegible] किया जाता एवं [illegible] किया जाता एवं उन्हें [illegible] दी जाती है कि [illegible] का [illegible] के लिए शर्म से झुक जाता है। डायन [illegible] एवं एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। कार्यक्रम में प्रमोद कुमार, विजय कुमार [illegible] विकास कुमार, [illegible] आदि ने सहयोग किया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एस.एन. कुमार द्वारा नवज्योति पब्लिशिंग हाउस, [illegible] कालोनी, [illegible], पुलिस लाइन के पीछे, डालटनगंज, पलामू झारखंड – 822101 से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक :– संजीव [illegible]। फोन : 06562-222[illegible], 9470583040, आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक–JHAHIN2012/[illegible]
email : samachar.varsha.hindidaily@gmail.com (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार)

डालटनगंज
(मेदिनीनगर)
शुक्रवार २७ जून २०१४

भ्रामक बीमारी है डायन मानना : दीनानाथ राम

डायन कुप्रथा रोकने के लिए नारी शक्ति की जरूरत : देवेन्द्र सिंह

डायन प्रथा संबंधी केस को प्राथमिकता से सुलझाऊगां : थाना प्रभारी

बिना अपराध के सजा भुगत रही है 'डायन' करार दी गयी महिलायें : मो. हशमत रब्बानी

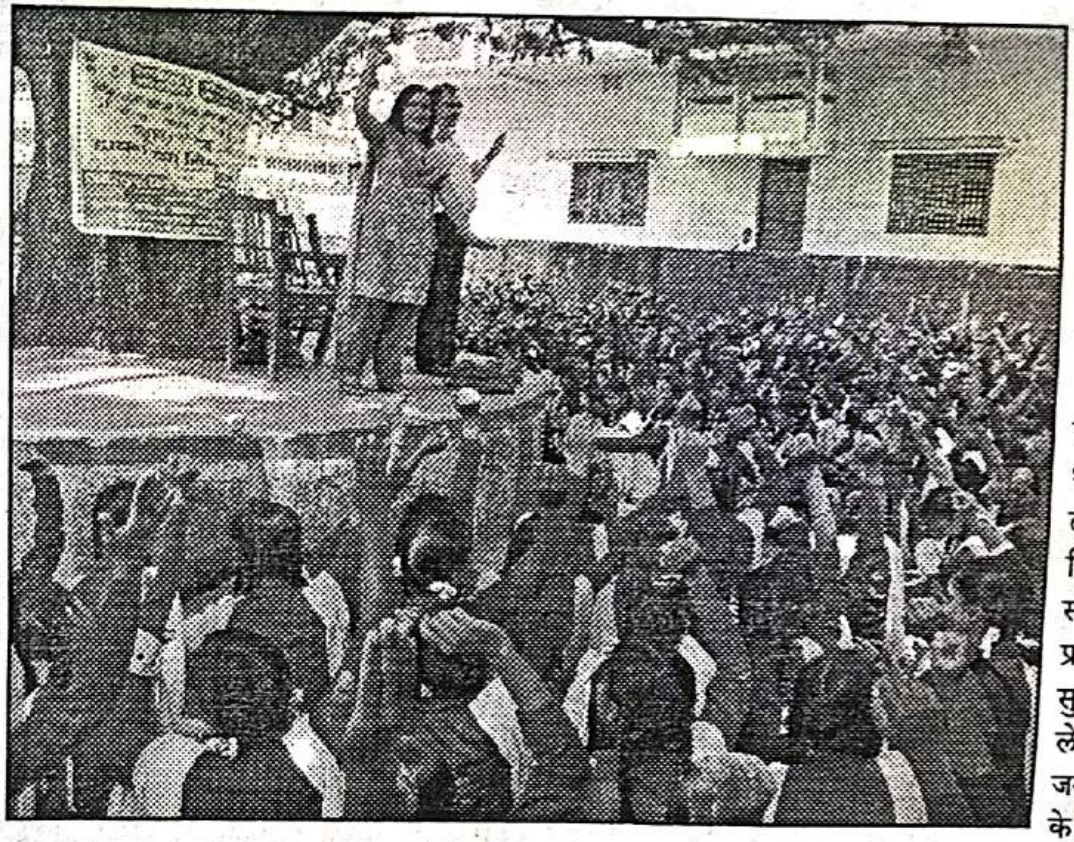

लेस्लीगंज(पलामू)। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, भारत सरकार के सौजन्य से ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच द्वारा डायन प्रथा अत्याचार नियंत्रण हेतू जागरूक्ता वकालत एवं पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड में रामधारी शाह बालिका उच्च विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रचार्य दिनानाथ राम ने की जबकि कार्यक्रम का संचालन मंच के सचिव मो.हशमत रब्बानी ने की, विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी श्री दयानन्द साह मौजूद थे। विद्यालय में लगभग आठ सौ छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में डायन के नाम पर घटित होने वाली घटनाओं को देखते हुए प्रतित होता है कि सबकि सहभागिता से डायन नियंत्रण हेतू अभियान चलाने की जरूरत है।

विद्यालय के प्रचार्य श्री दिनानाथ राम ने कहा कि डायन प्रथा एक भ्रामक बिमारी है और ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच इस बीमारी को दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पर जा कर दवा एवं इंजेक्शन देने का क्रार्य कर रही है, क्योकि जानकारी ही बचाव है। सहायक शिक्षक श्री देवेन्द्र कुमार ने कहा कि डायन प्रथा जैसे कुप्रथा को रोकने के लिए नारी शक्ति की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थाना प्रभारी श्री दयानन्द साह ने कहा कि डायन प्रथा संबंधी केस को प्राथमिकता से सुलझाऊगां एवं मै लेस्लीगंज में आम जन एवं जनप्रतिनिधि के लिए संस्था के साथ मिलकर एक विशेश कार्यक्रम १० जुलाई २०१४ को थाना परिसर में रखा गया है।कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंच के सचिव मो० हशामत रब्बानी ने कहा कि डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं पर होने वाला अत्याचार दरिन्दगीं की हद को पार कर जाता है और सभ्य समाज की चुप्पी इस कुप्रथा को और बढ़ावा देता है।

Scanned with OKEN Scanner

डायन प्रथा के नाम पर

महिलाओं पर अत्याचार शर्म की बात : एसडीओ

डायन प्रथा नियंत्रण कार्यक्रम में सब की सहभागिता जरूरी :स्वर्ण लता

हुसैनाबाद(पलामू)। प्रखंड के २०.०६.२०१४ डायन प्रथा नियंत्रण पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन मुख्य अतिथि एस0डी0ओ0 श्री रंजीत लाल एवं विशिष्ट अतिथि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी शंकराचार्य जमाड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसका संचालन कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने की।

इस अवसर पर काफी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सेवक, मुखिया, उप प्रमुख, सहिया, सहिया साथी, जल सहिया, आगंनबाड़ी सेविका आदि लगभग पांच सौ की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एस0डी0ओ0 श्री रंजीत लाल ने कहा कि इस सदी में अंधविश्वास आधारित महिलाओं पर डायन प्रथा के नाम पर अत्याचार हो रहा है तो यह मानव समाज के लिए शर्म की

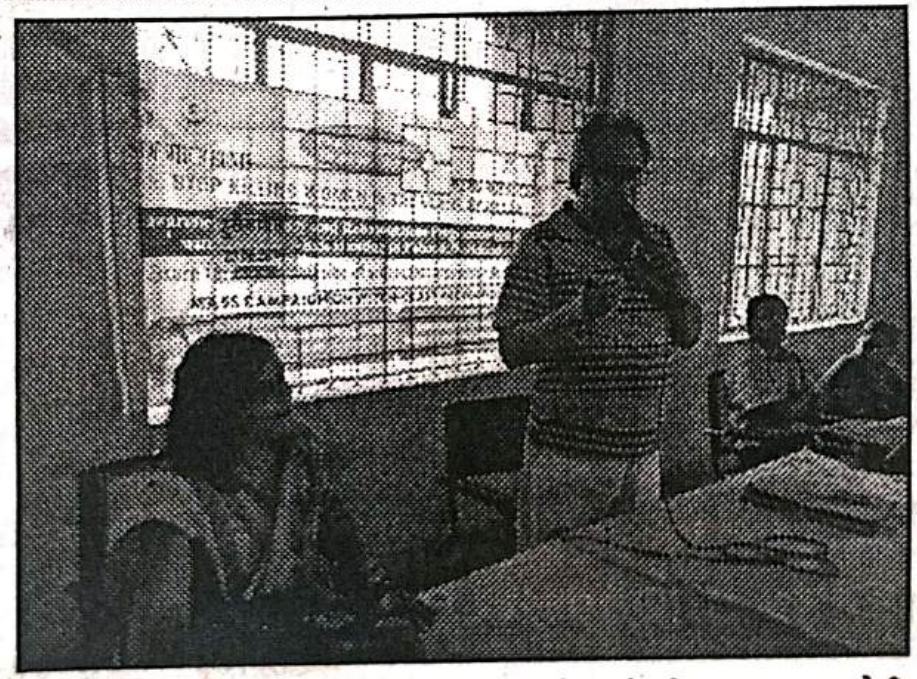

बात है ।विशिष्ट अतिथि उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री शंकराचार्य जमाड ने कहा कि डायन प्रथा के नियंत्रण हेतू इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में जागरूकता लाने की जरूरत है। वहां पर उपस्थित मुखिया ने कहा कि अगर पुरूष को ओझा के नाम पर मारपीट किया जाए तो इसके लिए सजा क्या होनी चाहिए।कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्वर्णलता रंजन ने कहा कि अधिकतर बेसहारा, गरीब, विधवा, नि:संतान, दलित महिलाओं को ही हमेशा डायन कहा जाता है। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए सब की सहभागिता आवश्यक है। उनकी सहायता के लिए संस्था ने मुफ्त कानूनी सहायता एवं वकील की व्यवस्था की है, साथ ही टॉल फ्री नं0 १८००३४५६५२५ एवं मिस्ड कॉल नं0 ७८७०६३२०२६ जारी किया है। अधिवक्ता मो0 नसीमुद्दीन खां ने डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम २००१ की जानकारी देते हुए कहा कि डायन कहना कानूनन जुर्म है। डायन कहने पर तीन महीने की सजा एवं एक हजार रूपया जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकरी रूपम कुमारी, बी0पी0ओ0 धमेन्द्र उरांव, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रामनाथ प्रसाद श्रमिक, जे0ई0 विजय कुमार, अनिल कुमार सिंह, सरस्वती देवी, नसरीम खातुन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में शंशाक कुमार, शम्भू साव, विकास कुमार आदि ने सहयोग किया।

Scanned with OKEN Scanner

डायन बिसाही की घटना न हो इसका करें पुख्ता इंतजाम

- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने दिया निर्देश
- सीएस, गृह सचिव, डीजीपी से रोकथाम का मांगा विस्तृत प्लान

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नारायण राय ने कहा कि डायन बिसाही की घटना काफी अफसोसजनक है। इस मामले में घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस तरह की घटना हो ही नहीं इसका पुख्ता इंतजाम कराना होगा। आयोग कार्यालय में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने उक्त बातें प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव गौबा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय और डीजीपी डीके पांडेय से कही। उन्होंने कहा कि आयोग का मानना है कि डायन बिसाही की घटना कहीं न कहीं पूर्व नियोजित हुआ करती है। जिसको प्रशासनिक सतर्कता और जागरूकता से रोका जा सकता है। तीनों अधिकारी दो सप्ताह में डायन बिसाही पर रोकथाम के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है इस पर विस्तृत प्लान दें। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के अलावा मानवाधिकार आइजी एमएस भाटिया और रांची रेंज डीआइजी अरुण कुमार सिंह मौजूद थे।

रांची में मंगलवार को धूर्वा स्थित राज्य मानवाधिकार आयोग में बैठक की जानकारी देते आयोग के अध्यक्ष।

नाखुशी जाहिर की : अध्यक्ष ने इस बात पर भी नाखुशी जाहिर किया कि डायन बिसाही के मामलों में पूर्व में आए मामलों पर संज्ञान लेते हुए इस पर रोकथाम के लिए बार-बार दिशा-निर्देश जारी किया गया, बावजूद इसके मानवता को शर्मसार करने वाली इस तरह की घटना सामने आ रही है।

पांच महिलाओं की हत्या मामले में दो सप्ताह में दें रिपोर्ट

अध्यक्ष ने रांची के मांडर में डायन बिसाही का आरोप लगा पांच महिलाओं की हत्या मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से दो सप्ताह में जांच प्रतिवेदन देने को कहा है।

रेंज डीआइजी करेंगे समीक्षा

संपत मीणा ने सभी रेंज डीआइजी को भी यह निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के जिलों के थानों में डायन बिसाही के दर्ज मामलों की खुद समीक्षा करें। इसके बाद वे इसकी रिपोर्ट सीआइडी को भेजें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सीआइडी डीआइजी के नेतृत्व में कोषांग गठित

जिलों में डायन बिसाही से जुड़े मामलों में कार्रवाई के लिए आइजी ने सीआइडी डीआइजी परमेश्वर रविदास के नेतृत्व में एक कोषांग गठित की हैं। इसमें एसपी होमकर अमोल वेणुकांत, डीएसपी सनत सोरेन और इंस्पेक्टर मनोज ठाकुर को सदस्य बनाया गया है। उक्त कोषांग हर माह की 15 तारीख को लंबित मामलों की सूची दैनिक प्रतिवेदन के साथ 25 बिन्दुओं पर संबंधित रेंज डीआइजी से प्राप्त करेगा। वहीं 20 अगस्त तक उक्त मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा। इसके बाद रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी जाएगी।

डायन बिसाही वाले इलाकों और ओझा-गुनी की होगी पहचान

- अब डायन बिसाही के मामलों की मॉनिटरिंग करेगा सीआइडी
- जिलों के एसपी अंधविश्वास संबंधी सूचना कराएं एकत्र
- डायन बिसाही के लंबित मामलों की रिपोर्ट देंगे सभी रेंज डीआइजी

राज्य ब्यूरो, रांची : मांडर में पांच महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाकर उनकी हत्या की घटना के बाद अब हर स्तर से डायन बिसाही के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में डायन बिसाही मामले की पुलिस मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जवाबदेही मिलने के बाद सीआइडी भी हरकत में आ गया है। मंगलवार को आइजी संपत मीणा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के वैसे इलाकों की पहचान करें जहां डायन बिसाही के नाम पर पूर्व में घटना हुई है या भविष्य में होने की संभावना है। इसके अलावा अंधविश्वास का जहर फैला लोगों को बरगलाने वाले ओझा-गुनी की भी पहचान करने को कहा गया है।

आइजी ने कहा है कि डायन बिसाही से जुड़े मामलों में अनुसंधान के दौरान इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि घटना के पीछे मूल वजह कहीं जमीन या कोई और विवाद तो नहीं। साथ सभी एसपी को चौकीदारों और अन्य स्रोतों से डायन बिसाही और अन्य अंधविश्वास से जुड़े मामलों में भी सूचना संग्रह कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

Scanned with OKEN Scanner

रांची, 22 जून 2014

पलामू जागरण

डायन कुछ नहीं होती बताने पर भड़कीं महिलाएं

जागरूकता के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा विरोध

- ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी
- शिक्षा के अभाव में ओझा-गुणी लोगों को बना रहे बेवकूफ

लेस्लीगंज, पलामू : अंधविश्वास की जड़ें सुदूर ग्रामीण इलाकों में आज भी किस कदर गहरी हैं इसका एक उदाहरण है लेस्लीगंज का बसौरा गांव।

बसौरा स्थित हरिजनटोला में डायन कुप्रथा नियंत्रण पर एक दिवसीय कार्यशाला में महिलाएं इस बात पर भड़क गईं कि डायन नहीं होती है। ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच द्वारा आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने उन्हें जब समझाने का प्रयास किया कि यह अंधविश्वास है तो महिलाएं उदाहरण देने लगीं। कहा, कई लोगों के बेटे को डायन खा गई है। आपलोग यहां से चले जाइए।

हमें इस संबंध में कुछ नहीं सुनना है। अनिता देवी ने कहा कि मेरे 20 वर्ष के बेटे को डायन खा गई, अब आपलोग बार-बार कह रहे हैं कि डायन कहने पर तीन महीने की सजा है। हम डायन नहीं कहेंगे तो डायन पूरे गांव को खा जाएगी। पार्वती देवी बताने लगी कि बेटी की तबीयत खराब थी। हमने 10 हजार रुपये खर्च किए, फिर भी ठीक नहीं हुई। तांत्रिक के पास ले गए तो वह ठीक हो गई। ऐसे में हम आपकी बात क्यों सुनें।

संस्था के हशमत रब्बानी ने बताया कि इसी तरह की घटना सदर प्रखंड के कचरवा गांव में 18 जून को आयोजित बैठक में हुई। इसमें काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। लेकिन अधिकांश यह कहकर उठ गईं कि हम डायन होती हैं, इसलिए आपके कहने का यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्यशाला में रीना देवी, लक्ष्मी देवी, शारदा देवी, पिंकी कुमारी, पूजा कुमारी, रूक्मानी देवी, निधि देवी, फूलमती कुंअर आदि ने भाग लिया।

लेस्लीगंज प्रखंड के बसौरा स्थित हरिजनटोला में डायन प्रथा नियंत्रण पर एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित लोग।

खतरनाक असंवेदनशीलता

'दैनिक जागरण' ने 11 जून के 'मुद्दा' में अंधविश्वास के सवाल को ही उठाया था और बताया था कि इस डायन-बिसाही जैसी सोच सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह तभी दूर होगा, जब हम लगातार लोगों को जागरूक करेंगे। उन्हें शिक्षित करेंगे, सरकार और समाज के प्रबुद्ध तबके को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

शिक्षा से ही दूर होगा अंधविश्वास : महुआ माजी

रांची : डायन जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक कुप्रथा है, अंधविश्वास है। लोग इसे समझें। ये बातें झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ माजी ने 'दैनिक जागरण' से कहीं। उन्होंने कहा कि जब लोगों में शिक्षा होगी तो वे खुद ऐसी चीजों के अस्तित्व को नकारने लगेंगे। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास अभी भी चरम पर है। हमें उन्हें समझाना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा। सबसे जरूरी है शिक्षा। राज्य के कई गांव ऐसे दुर्गम क्षेत्र में हैं, जहां न तो स्कूल-कॉलेज है और न ही अस्पताल। सड़क-बिजली आदि नहीं है। उन तक

विकास की किरणें पहुंचाने से ही अंधविश्वास की जड़ें भी कमजोर होंगी। होता यह है कि कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाकर ओझा-गुणी के पास ले जाते हैं। हल्की-फुल्की बीमारी होती है तो वे खुद ठीक हो जाते हैं और यह समझ बैठते हैं कि ओझा ने ठीक कर दिया। लोग इनके चक्कर में पड़ने से बचें। वे कभी नहीं चाहेंगे कि लोग दुनिया में आ रहे बदलाव के बारे में जानें, अंधविश्वास से दूर हों, क्योंकि तब उनकी दुकान बंद हो जाएगी। महुआ माजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जहां अशिक्षा-अंधविश्वास है वहां लोगों को जागरूक करने का दायित्व हम सबका है। हो सकता है कि लोग पहली बार में आपको नकार दें, लेकिन इससे निराश न हों। वे एक दिन आपकी बात मानेंगे। इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

रांची, शनिवार २८ जून २०१४

डायन प्रथा जैसी भ्रांति समाज से दूर करना सबका दायित्व : प्रधानाध्यापक

डायन प्रथा अत्याचार नियंत्रण पर लेस्लीगंज में सेमिनार का आयोजन

भेदिनीनगर, 27 जून (आससे)। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, भारत सरकार के सौजन्य से ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के तत्वावधान में डायन प्रथा अत्याचार नियंत्रण हेतु जागरूकता वकालत एवं पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड में रामधारी शाह बालिका उच्च विद्यालय में बीते गुरूवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता स्कूल के प्रचार्य दिनानाथ राम ने की जबकि कार्यक्रम का संचालन मंच के सचिव मो हशमत रब्बानी ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी दयानन्द साह मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में डायन के नाम पर घटित होने वाली घटनाओं को देखते हुए प्रतित होता है कि सघंकि सहभागिता से डायन नियंत्रण हेतु अभियान चलाने की जरूरत है। डायन प्रतिशेध अधिनियम 2001 की जानकारी देते हुए कहा कि कानून के साथ समाज की सोच बदलने की जरूरत है। विज्ञान के इस युग में भी महिलाए मध्य युग की भांति डायन के नाम पर प्रताड़ित हो रही है। इस अंधविश्वास को दूर किए बिना महिला सशक्तिकरण एवं सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इस मौके पर संस्था के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम 10 जुलाई 2014 को थाना परिसर में रखा गया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंच के सचिव मो हशमत रब्बानी ने कहा कि डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं पर होने वाला अत्याचार दरिन्दगी की हद को पार कर जाता है और सभ्य समाज की चुप्पी इस कुप्रथा को और बढ़ावा देता है। श्री रब्बानी ने कहा कि बिना अपराध के सजा भुगत रही है डायन करार दी गयी महिलायें। उन्होनें कहा कि लोगों में ऐसा विश्वास है कि डायन एक विद्या है, जिसके सीखने के क्रम में अनुक स्त्री को अपने किसी प्रिय व्यक्ति की जान लेनी पड़ती है तब जाकर उसकी विद्या सपूर्ण होती है। डायन विद्या में सर्व प्रथम एक मंत्र सिखाया जाता है, जिसका प्रयोग भूतों को बुलाने और उसे वशा में करने के लिए किया जाता है। उक्त स्त्री की भयवृति को हटाने के लिए उसे अमावस्या की अर्धरात्रि में शमशान ले जाया जाता है, जहां उसके मन से यौन संबंधित दुराग्रह खत्म करने के लिए नंगा नृत्य करना होता है। इस मौके पर अनेक छात्राओं एवं शिक्षको ने सभा को संबोधित किया।

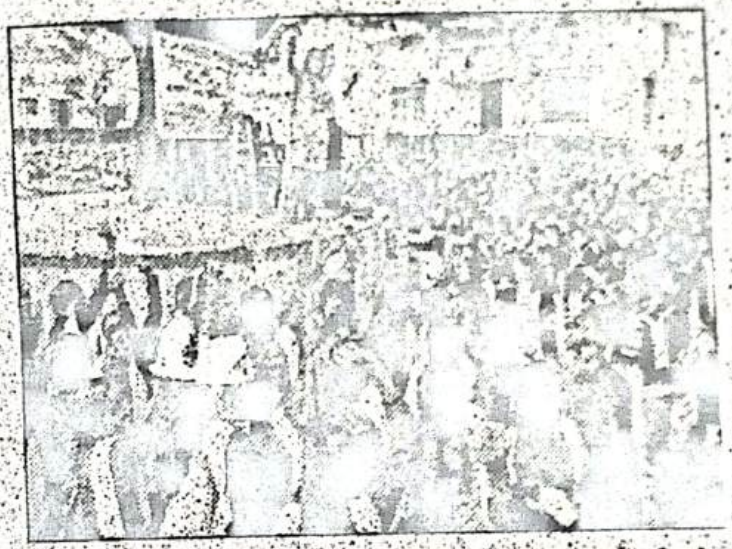

सेमिनार में उपस्थित स्कूली छात्राए एवं संस्था के लोग। छाया : ब्रजेश तिवारी

खबर मन्त्र

29 जून 2014

खबर मन्त्र अखबार के प्रथम स्थापना दिवस के पावन अवसर पर खबर मन्त्र परिवार समेत पलामू जिला के के समस्त नागरिकों,पंचायत प्रतिनिधियों, प्रखंडकर्मियों , स्वंयसेवकों, इष्टमित्रों व शुभचितकों को हार्दिक शुभकामनाएं।

ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच ने ठाना है डायन प्रथा मुक्त झारखंड बनाना है ।।

निवेदक

मिस्ड कॉल : 7870632026 टॉल फ्री : 18003456525

ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच

जेलहाता , डालटनगंज पलामू झारखंड ।

पिन कोड : 822101

Scanned with OKEN Scanner

28 फरवरी 2014 हिन्दुस्तान

मां को डायन बताकर पीटने की प्राथमिकी

पाटन। प्रतिनिधि

पाटन थाना के खैरदोहर गांव के जैनुल अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अनुसार गत दिन उसकी मां बकरी चरा रही थी।

इसी बीच उसी गांव के रवानी अंसारी, साकिर मियां, कलीम अंसारी, रबुला बीबी आई तथा डायन कहकर मारपीट करने लगी। बगल में एक व्यक्ति कुदाल से काम कर रहा था। उस व्यक्ति कुदाल छिनकर कुदाल से उसकी मां पर वार किया गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

पाटन सीएचसी में प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर ईलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। आरोपी व्यक्तियों पर डायन प्रथा प्रतिशोध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। किसी की गिरफ्तारी नही हुई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।

Scanned with OKEN Scanner

लातेहार. डायन बता कर ढाये जुल्म

दंपती को पीट कर गांव से निकाला

सुनील कुमार, लातेहार

छिपादोहर थाना क्षेत्र के लाभर गांव में कुछ लोगों ने पंचायत बुला कर डायन के संदेह में अंती देवी व उसके पति दिकदार सिंह को पेड़ से लटका कर पीटा. फिर कपड़े उतरवा कर गांव से बाहर निकाल दिया. गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया. घटना तीन मई की है. इसके बाद से दंपती जहां-तहां भटक रहे हैं. एक वकील ने उनकी मदद की. उनके प्रयास से भुक्तभोगी दंपती ने लातेहार आकर दो अलग-अलग शिकायतवाद 71/14 व 140/14 न्यायालय में दर्ज कराया. अदालत ने छिपादोहर थाना पुलिस को मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश किया. अदालत के आदेश के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है. न ही भुक्तभोगी दंपती को गांव में पहुंचाया जा रहा है. भुक्तभोगी दंपती का कहना है कि पंचायती में शामिल लोगों के घर में आदमी या मवेशी भी बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें ही डायन बता कर प्रताड़ित किया जाता है.

छिपादोहर के लाभर गांव की घटना

- बच्चों को गांव में रहने देने के लिए 10 हजार जुर्माना लिया
- अंती देवी व दिकदार सिंह के गांव में घुसने पर प्रतिबंध
- तीन मई से भटक रहे हैं
- कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं

पत्नी व बच्ची के साथ दिकदार सिंह.

गांववालों ने ऐसे ढाये जुल्म

लाभर निवासी अंती देवी व उसके पति दिकदार सिंह पर गांव के ही भादे सिंह वगैरह ने डायन का आरोप लगा कर गत तीन मई को पंचायत बुलायी. दोनों को बरगद के पेड़ में लटका कर बुरी तरह से पीटा गया. तत्काल गांव छोड़ने व अगले आदेश तक गांव में घुसने पर प्रतिबंध का फैसला सुनाया गया. ये फैसले गांव के ही भादे सिंह, तपेशर सिंह, सहादुर सिंह, कुलदीप सिंह, बिनेसर सिंह, तरुण सिंह, अरुण सिंह, रामलगन सिंह व साहेब सिंह ने सुनाये. इतना ही नहीं, दंपती ने उनके बच्चों को गांव में रहने देने की गुहार लगायी, उपरोक्त लोगों ने इसके लिए बतौर जुर्माना 10 हजार रुपये तत्काल जमा करने का आदेश दिया. आनन-फानन में दंपती के परिजनों ने जमीन बंधक रख कर 10 हजार रुपये पंचायत में जमा कराया. फिर दिकदार सिंह का कपड़ा उतार कर सिर्फ गमछा में उसे पत्नी के साथ पीटते हुए गांव से खदेड़ दिया गया.

अधिवक्ता ने की दंपती की मदद

संयोग से लाभर गांव से गुजर रहे अधिवक्ता राजमणि प्रसाद ने दंपती को बदहवास दौड़ते देखा, तो उनसे पूछताछ की. उन्होंने दंपती को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें अपने साथ लातेहार ले आये. लातेहार कोर्ट में दंपती ने शिकायतवाद दर्ज कराया.

Scanned with OKEN Scanner

मंगलवार, 13 मई, 2014

खबर मन्त्र
सबकी बात सबके साथ

डायन के नाम पर अत्याचार बंद हो : प्राचार्या

डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 पर कार्यशाला में उपस्थित छात्रायें तथा संबोधित करतीं प्राचार्या

खबर मन्त्र रिपोर्टर

मेदिनीनगर। मिशन बालिका उच्च विद्यालय में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मिशन स्कूल की प्राचार्या सि. इग्नासिया लकड़ा ने की। प्राचार्य ने कहा कि डायन के नाम पर गरीब, दलित एवं आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उसपर तत्काल रोक लगनी चाहिए।

महिलाओं को कानूनी सहायता की जरूरत है। ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच ने पीड़ितों के लिए एक मिस्ड कॉल नं. एवं टोल फ्री नं. की व्यवस्था की है। यह एक अच्छा प्रयास है। आठवीं की छात्रा श्वेता कुमारी ने कहा कि औरतों पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। एक अन्य छात्रा शिखा कुमारी ने कहा कि डायन प्रथा भी सती प्रथा की तरह एक कुप्रथा है, इसे रोकने के लिए पीड़ित महिला को कानूनी सहायता की जरूरत है। महिलाओं को जुल्म नहीं सहना चाहिए।

आठवीं की छात्रा अनुपमा कुमारी ने कहा कि डायन प्रथा रोकने के लिए तांत्रिक लोगों का विरोध होना चाहिए एवं उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के सचिव मो. हशमत रब्बानी ने कहा कि डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आना होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। उन्होंने बताया कि इस समाजिक बुराई को खत्म करने की आवश्यकता है। डायन शब्द केवल मन का अंधविश्वास है एवं इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए सबको सहभागिता जरूरी है। कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि 21वीं सदी में भी हम डायन प्रथा से अभिशप्त हैं। उन्होंने कहा कि डायन शब्द हिंसा का प्रतीक है। कार्यशाला में अधिवक्ता नसीम उद्दीन खां, प्रिया कुमारी, छात्राएं एवं शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित थे।

Scanned with OKEN Scanner

खबर मंत्र
सबकी बात सबके साथ

महिला दिवस पर विभिन्न संगठनों ने किया कार्यक्रमों का आयोजन, वक्ताओं ने

जारी मजबूत होगी तो देश मजबूत हो

कार्यक्रम महिला दिवस पर कार्यक्रमों में उपस्थित लोग

सीएस कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन

मेदिनीनगर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में महिलाओं के अधिकार के प्रति विचार रखा गया। इसमें शामिल लोगों ने कहा कि महिला मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा।

समाज कल्याण विकास मंच ने की सभा

मेदिनीनगर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच द्वारा रैली व सभा आयोजित की गयी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन व जिला स्वास्थ्य समिति पलामू के सौजन्य से किया गया। रैली सिविल सर्जन कार्यालय से निकल कर शहर के मुख्य रास्ते होते पुनः सिविल सर्जन कार्यालय सभा में तब्दील हुआ। रैली का उदघाटन उप निदेशक स्वास्थ्य डा. राजेश्वर सिंह, डा राजेश्वर रंजन व मो हशमत रब्बानी ने हरी झंडी दिखा कर किया। स्वर्णलता रंजन की अध्यक्षता में लगभग 100 सहिया व साहिया साथी समेत समूह की महिलाएं रैली में शामिल हुई। मौके पर डायन अत्याचार संबंधित विभिन्न घटनाओं को एक कैलेंडर में दिखाया गया। विमोचन थाना प्रभारी मनोज ठाकुर, महिला थाना प्रभारी आरएन तिवारी, आरडीडीएच शामिल थे। स्कार्यक्रम में बीटीटी, सहिया, संहिया साथी, विरेंद्र पासवान, मीडियाकर्मी समेत कई लोग मौजूद थे।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

झारखंड का सबसे पुराना दैनिक

रांची एक्सप्रेस

सोमवार
रांची, 17 फरवरी 2014
पृष्ठ : 12 मूल्य ₹ 2.00
www.ranchiexpress.com

डायन प्रथा एवं डायन अत्याचार नियंत्रण पर विचार गोष्ठी

जागरूकता और दबाव एक बड़ा हथियार : पंकज

मेदिनीनगर, 16 फरवरी (रां.ए.सं.) : 'डायन प्रथा एवं डायन अत्याचार नियंत्रण हेतु मीडिया एवं एनजीओ की भूमिका' विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन ब्लू हेवेन होटल में ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच डालटनगंज की ओर से किया गया।

इस परिचर्चा में कई गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, शिक्षक और मीडियाकर्मियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विषय प्रवेश कराते हुए कार्यक्रम प्रभारी स्वर्णलता रंजन ने कहा कि 21वीं सदी में भी हम डायन प्रथा से अभिशप्त हैं। सरकार ने इस अत्याचार नियंत्रण हेतु 'डायन तथा प्रतिषेध अधिनियम 2001' बनाया लेकिन वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सका। नतीजतन डायन बता कर हत्या के मामलों में कोई कमी नहीं आयी। हमारी संस्था 'ग्रामीण समाज कल्याण मंच ने ठाना है- डायन प्रथा मुक्त झारखंड को बनाना है।' इसके लिए संस्था ने ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के सहयोग के बिना हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। संस्था के सचिव मो. -हशमत रब्बानी ने कहा कि आखिर महिलाओं के साथ ही अत्याचार क्यों होते हैं? कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और डायन प्रथा का कारण महिलाओं को प्रताड़ित किया जाना आम बात हो गयी है। शिक्षित समाज की चुप्पी से भी इस प्रथा को मजबूती मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रथा के विरोध में शिकायतें प्राप्त करने और किसी भी सहायता के लिए हमारी संस्था ने हैल्प लाइन प्रारंभ की है। पलामू प्रमंडल का यह प्रथम टाल फ्री नंबर है। 18003456525 पर जब चाहें बात कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर 7870632026 पर भी मिस काल कर छोड़ दें- हम उनसे तुरंत संपर्क करेंगे।

गोष्ठी में भाग लेते गैर सरकरी संगठनों के प्रतिनिधि, मीडियाकर्मी एवं अन्य। छाया : दिलीप

विचार गोष्ठी में अधिवक्ता लाजवंत कुमार तिवारी ने कहा कि समाज जब तक कानून के पहलुओं को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक इस प्रकार की किसी भी कुप्रथा से हमें निजात नहीं मिलेगी।

सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार मिथिलेश ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज के लोगों को ही आगे आना होगा। पत्रकार सुरेन्द्र सिंह रुबी ने कहा कि जागरूकता अभियान चलाकर इस प्रथा को समाप्त करने में मदद मिलेगी। मीडियाकर्मी आशुतोष ने गैर सरकारी संगठनों और मीडिया को समन्वय स्थापित कर काम करने की सलाह दी। सतबरवा के शिक्षक प्रेम नारायण पांडेय ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में जागरूकता गोष्ठी करने का सुझाव दिया। पांकी के सामाजिक कार्यकर्ता हरिजी ने कहा कि हमलोगों ने 25 गांवों में वैसे लोगों को चिह्नित करने का काम शुरू किया है जो डायन प्रथा को बढ़ावा देते हैं या संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। लेस्लीगंज के अनिल कुमार गिरि ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामीण सहयोग करने से कतराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार तौहीद रब्बानी ने कहा कि अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए हर नागरिक की हिस्सेदारी जरुरी है। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता बैंक अधिकारी एवं स्तंभकार पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जागरूकता और दबाव एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी कुप्रथा पर कुठाराघात आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत प्रतिशोध और व्यक्तिगत असहमति के कारण किसी भी महिला का डायन घोषित कर दिया जाता है। दबंगों के इरादे जब सफल नहीं होते तो वह किसी भी लाचार-विधवा महिला को डायन घोषित करा कर उसे प्रताड़ित करते हैं।

विचार गोष्ठी में पत्रकार अजय भट्टाचार्य, नसीम अहमद (शम्स), पत्रकार ब्रजेश तिवारी, अरुण शुक्ला आदि ने भी हिस्सा लिया।

Scanned with OKEN Scanner

बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया के परियोजना सहायक पलामू पहुंचे

" मजबूर किसको बोला " के तहत रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम की ली जानकारी

कौड़िया, सूदना और पूर्णाडीह के ग्रामीणों से की बातचीत, समस्याओं से हुए रू–ब–रू

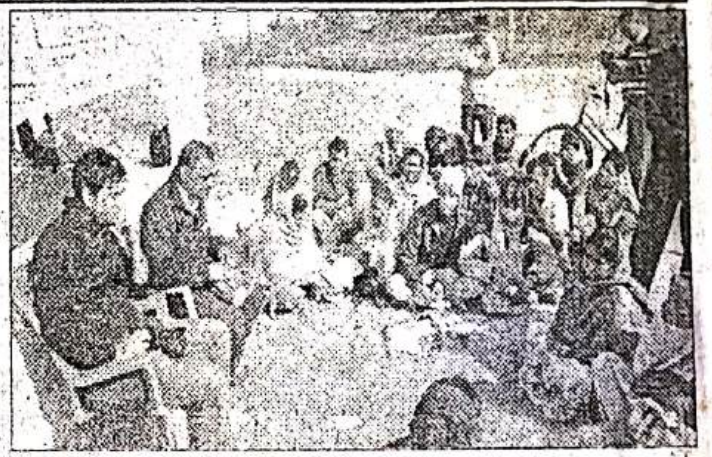

ग्रामीणों से बातचीत करते बीबीसी मीडिया एक्शन के परियोजना सहायक एडरियन शेफर्ड। छाया : ब्रजेश तिवारी

मेदिनीनगर, 12 फरवरी (आससे)। बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया के तहत " मजबूर किसको बोला " कार्यक्रम के तहत पलामू जिले के विभिन्न इलाको में लोगो को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिये परियोजना सहायक (प्रोजेक्ट असिस्टेंन्ट) एडरियन शेफर्ड पलामू पहुंचे। मालूम हो कि " मजबूर किसको बोला " कार्यक्रम के तहत जिले में दस गांवो में रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगो को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जा रहा है। इस कार्यक्रम से गांव के भोले–भाले लोगो को जागरूक करने का काम किया जा रहा है जिससे वे देश के किसी भी कोने में वे अपने हक–अधिकार के साथ सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, किसी बिचौलिये या दलाल के हाथो ठगी के शिकार वे न बन सके। जिले के दस गांवो में चलाये जा रहे रेडिया श्रोता संवाद से लोगो के बीच कितना असरदार हुआ, इसकी जानकारी के लिये बीबीसी मीडिया एक्शन के परियोजना सहायक एडरियन शेफर्ड ने मेदिनीनगर सदर प्रखंड के कौड़िया, सिंगरा खुर्द गांव के पूर्णाडीह टोला और यहां सूदना का दौरा किया। इस दौरान श्री शेफर्ड उक्त गांवो में उस समय पहुंचे जब गांव–टोला के एक सार्वजनिक स्थान पर ग्रामीणों को " मजबूर किसको बोला " कार्यक्रम के तहत रेडियो श्रोता संवाद सुनाया जा रहा था। इस दौरान श्री शेफर्ड ने ग्रामीणों द्वारा सुने गये संवादो के बारे उनसे जानकारी ली वे कितना–कुछ जान–समझ सके हैं। इस दौरान ग्रामीणों को बंधुआ मजदूरी, बिना पंचायत को सूचित किये बाहर जाने जानकारी, सरकार द्वारा न्युतम मजदूरी का भुगतान, मानसिक शारीरिक दुव्यहार या धमकी देकर काम कराये जाने, उनके इच्छा के बिना काम कराया जाना, उधार पैसा देकर ब्याज के बदले जबरन अपने खेतो या घरो में काम कराया जाना आदि के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा था। रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम के दौरान श्री शेफर्ड ने कौड़िया गांव में चल रहे योजनाओ, उनके मजदूरी का भुगतान में कोई अड़चन, पलायन आदि की जानकारी ली। इस दौरान गांव की सुभद्रा देवी, झरी पाल आदि ग्रामीणों ने गांव में व्याप्त समस्याओ के बारे में श्री शेफर्ड को अवगत कराया। श्री शेफर्ड ने उक्त गांव के फैसिलेटर को ग्रामीणो की समस्याओ को दूर करने में मददगार बनने में अपनी सहभागिता दिखाने की अपील की। इसके बाद श्री शेफर्ड सिंगरा खुर्द गांव के पूर्णाडीह टोला पहुंचे जहां कोयल नदी के तट पर रेडियो श्रोता संवाद का ग्रामीण आनंद उठा रहे थे। हांलाकि वहां कुछ ही ग्रामीण उपस्थित थे शेष अपने रोजी–रोजगार की तलाश में शहर चले गये थे। वहां भी श्री शेफर्ड ने ग्रामीणो की समस्याओ से अवगत हुए और समस्याओ के हल के लिये संबंधित फैसिलेटर को सुझाव दिया ताकि उनके गांव में पहुंच सड़क का निर्माण हो सके। इसी प्रकार श्री शेफर्ड सूदना गांव स्थित रेडियो श्रोता संवाद केन्द्र पहुंचकर लोगो की समस्याओ से रू–ब–रू हुए और रेडियो कार्यक्रम से उन्हें मिल रहा लाभ की जानकारी ली। इस मौके पर श्री शेफर्ड के साथ सामाजिक संस्था ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के सचिव हसमत रब्बानी भी उपस्थित थे जो समय–समय में ग्रामीणो की समस्याओ के हल से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियां दी गयी। साथ ही श्री रब्बानी ने लोगो को स्वास्थ्य और शिक्षित समाज के निर्माण में अपने बच्चो को शिक्षित करने और स्वास्थ्य रहने के लिये साफ–सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। इस मौके पर बीबीसी मीडिया कम्युनिटी के डालटनगंज के रिर्पोटर मिथिलेश कुमार, उदय प्रसाद बैठ, विज आदि अनेक फैसिलेटर उपस्थि थे।

Scanned with OKEN Scanner

पलामू जिले चल रहा बीबीसी का 'मजबूर किसको बोला' कार्यक्रम

रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम से आदिम जन जाति के परिवार में दिखने लगा जागरूकता का असर

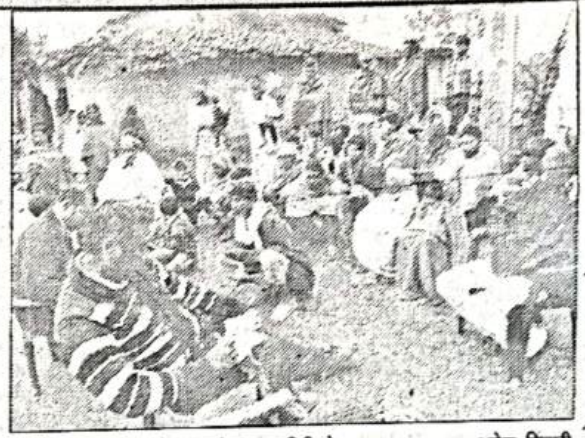

ग्रामीणों से बातचीत करतें ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के सचिव मो. हशमत रब्बानी, अशोक कुमार सिंह एवं मिथिलेश कुमार। छाया : ब्रजेश तिवारी

चैनपुर प्रखंड के गोरे गांव में वर्ष 2009 से लंबित मजदूरी भुगतान का उठा आवाज

ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच एवं बीबीसी कम्युनिटी ने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना

मेदिनीनगर, 23 फरवरी (आससे)। बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया के सौजन्य से " मजबूर किसको बोला" कार्यक्रम के तहत पलामू जिले के दस गांवो में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता का असर दिखने लगा है। अब लोग अपने हक–अधिकार को पाने के लिये नींद से सोये जग रहें हैं। इसका प्रमाण आज पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के नावाडीह पंचायत अन्तर्गत आदिम जनजाति बहुल्य गोरे गांव में देखने को मिला जब ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच के सचिव मो. हशमत रब्बानी, कार्यक्रम प्रबंधक अशोक कुमार सिंह एवं बीबीसी कम्युनिटी के डालटनगज रिपोर्टर मिथिलेश कुमार रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम का हाल जानने वहां पहुँचे। उस गांव में पाया गया कि आदिम जनजाति के परिवार लोग मनरेगा की लंबित मजदूरी वर्ष 2009 से भुगतान नहीं हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद आप आज मजदूरी भुगतान की बात कर रहें हैं आखिर क्यो ? उन्हीं के बीच से जबाब आया कि उन्हें रेडियो से इस प्रकार की जानकारी मिली कि मजदूरी भुगतान और काम पाना अपना हक–अधिकार है। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस रेडियो कार्यक्रम से लोग लाभान्वित एवं जागरूक हो रहे है। उस गांव के सोहराई कोरवा, राजनाथ कोरवा ने जानकारी दी कि 2009–10 में मनरेगा कार्य योजना के तहत कुआँ निर्माण तथा बिरजा सिंह के घर से खखेर नाला तक रोड निर्माण कार्य कराया गया था जिसमें उन्हें सहित अन्य कई लोगो का मजदूरी भुगतान आज तक नहीं हो सका। महेश राम ने बताया कि बिचौलिये हमारे मनरेगा का पैसा करूनी देवी एवं राम स्वरूप का मजदूरी का पैसा क्रमशः खाता संख्या 12012677,78,79 से निकालकर हजम कर गये। उनका जॉब कार्ड संख्या जेएच–020802609100566 है. जिसे देखने से पता चलता है कि वर्तमान में गांव में कोई कार्य नहीं होने से मजदूर पलायन करने को मजबूर है। इतना ही नहीं वर्ष 2010–11 में 1.41 लाख की लागत से निर्मित सुखेदव यादव का कुंआ का भुगतान शत–प्रतिशत नहीं हो सका। सुखदेव ने बताया कि उन्हें कुंआ निर्माण कार्य हेतु मात्र 82700 रूपये का भुगतान हो सका है। जबकि केन्द्रीय टीम ने भी निरीक्षण कर भुगतान कराने की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया था। सुखदेव ने अपने घर से पैसा लगाकर कुंआ तो बनवा लिया लेकिन उसे पता नहीं उसका शेष रकम बिचौलिये–अधिकारी मिलकर गड़क गये या नहीं। सोहराई कोरवा, राजनाथ कोरवा आदि ने बताया कि बीबीसी के स्थानीय फैसिलेटर्स उमाकांत सिंह एवं अरविंद कुमार यादव द्वारा "मजबूर किसको बोला" कार्यक्रम अन्तर्गत कई एपिसोड सुनाए जाते है. अभी 28 वाँ एपिसोड चल रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एडवांस देकर, कोई काम का लालच दे तो झांसे में न आए साथ ही काम की तलाश में दूसरे शहर जाएं तो घर–परिवार एवं पंचायत को बताकर जाएं। उन्होंने कहा कि उधार पैसे देकर ब्याज के बदले जबरन खेत या खदानों में कोई काम करवाता है तो यह गैर कानूनी है। वहीं मजबूर किसको बोला कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंच के सचिव मो. हशमत रब्बानी ने कहा कि 21 वी सदी में बंधुआ मजदूरी पर आधारित एक रेडियो कार्यक्रम है जो बीबीसी मीडिया एक्शन द्वारा संपो. शित है। आदिम जन जाति समुदाय को सम्बोधित करते हुए श्री रब्बानी ने कहा कि क्या आपको न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है, मानसिक शारीरिक दुर–व्यवहार या धमकी देकर काम कराया जाता है, किसी वस्तु की तरह खरीदा या बेचा जाता है, कही आने जाने पर प्रति बंध लगायी जाती है, आपके परिवार को उसके इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाता है तो यह गैर कानूनी है। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, जागरूक बनिए। साथ ही उन्होंने अधिक जानकारी के लिए मो. नंबर 09566213195 पर मिस्ड कॉल करने या टॉल फ्री हेल्प नं0 18003456525 पर मुत बात करने की सलाह दी। मालूम हो कि " मजबूर किसको बोला " कार्यक्रम के तहत जिले में दस गांवो में रेडियो श्रोता संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत लोगो को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जा रहा है। इस कार्यक्रम से गांव के भोले–भाले लोगो को जागरूक करने का काम किया जा रहा है जिससे वे देश के किसी भी कोने में वे अपने हक–अधिकार के साथ सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, किसी बिचौलिये या दलाल के हाथो ठगी के शिकार वे न बन सके। रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को बंधुआ मजदूरी, बिना पंचायत को सूचित किये बाहर जाने जानकारी, सरकार द्वारा न्यूतम मजदूरी का भुगतान, खन. सिक शारीरिक दुरव्यहार या धमकी देकर काम कराये जाने, उनके इच्छा के बिना काम कराया जाना, उधार पैसा देकर ब्याज के बदले जबरन अपने खेतो या घरो में काम कराया जाना आदि के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर बीबीसी मीडिया एक्शन के रिपोर्टर मिथिलेश कुमार ने मनरेगा योजना का लाभ लेने का आहवान किया एवं जॉब कार्डधारियों को काम वास्ते सामुहिक आवेदन देने की सलाह दी। ताकि उन्हें काम मिल सके। साथ ही श्री कुमार ने अपना जॉबकार्ड, पासबुक आदि अन्य कागजात किसी को नहीं देने की सलाह दी।

रांची सोमवार २४ फरवरी २०१४

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना : "डायन प्रथा एवं डायन अत्याचार नियंत्रण हेतु जागरूकता वकालत एवं पुनर्वास कार्यक्रम"

लक्ष्य : डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतू अनुपालन सुनिश्चित कराना

डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001

- यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को डायन के रूप में पहचान करता हो और उस पहचान के प्रति अपने किसी भी कार्य, शब्द या रीति से कोई कार्यवाही करें, तो इसके लिए उसे अधिकतम 3 महीने तक सजा अथवा 1000 रुपये जुर्माने की सजा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जान-बूझकर अन्यथा प्रताड़ित करता है, तो उसे 6 माह की अवधि के लिए कारावास या सजा अथवा 2000 रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों सजा से दण्डित किया जायेगा।
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी औरत को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साश्य या अनवधानता से अन्य व्यक्ति को या समाज के लोगो को उकसाता हो, षड्यंत्र रचता हो या उन्हें सहायता देता हो, जिससे उस औरत को हानि पहुंचे, तो 3 महीने तक का कारावास अथवा 1000 रुपये के जुर्माने अथवा दोनों सजा से दण्डित किया जायेगा।
- किसी भी डायन के रुप में पहचान की गयी औरत को जो भी शारीरिक या मानसिक हानि या यातना पहुंचाकर अथवा प्रताड़ित कर झाडफूंक या फिर टोटका द्वारा उसके उपचार के लिए कोई कार्य करता है, तो उसे 1 साल की कारावास का सजा अथवा 2000 रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों सजा से दण्डित किया जायेगा।

डायन के नाम पिड़ित महिलाए एवं उनके परिवार के लिऐं हेल्प लाईन

अधिक जानकारी के लिए हमें मिस्ड कॉल कीजिए इस नम्बर पर -07870632026
या मुफ्त में बातु करने हेतू इस टॉल फ्री नम्बर पर कॉल करें -1800 3456525

ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच

जेल हाता, डालटनगंज, पलामू (झारखण्ड)-822101

Tel- 06562-222243/222867, Mob. 09431159447, 9431972633

Scanned with OKEN Scanner